न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, रानी, जिला–पाली

- **पीठासीन अधिकारी :– रोज़ी कंसारा**
- **नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या :– 31/2020**
- **रजिस्ट्रेशन दिनांक :– 07.08.2015**
- **सीएनआर नं. :– RJPL270000272020**

राजस्थान राज्य **– अभियोगी**

ब ना म

कैलाश कुमार पुत्र मिश्रीलाल, निवासी घाणेराव, पुलिस थाना देसुरी, जिला पाली, राज.

– अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 406, 323 भारतीय दंड संहिता

उपस्थित :

01. सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य पक्ष की ओर से।

02. श्री भवानीसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त की ओर से।

::–निर्णय–::

दिनांकः–25.02.2026

01. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि परिवादिया ममता पुत्री शंकरलाल ने न्यायालय में एक परिवाद दिनांक 19.05.2015 को इस आशय का पेश किया कि परिवादिया ग्राम नाडोल की रहने वाली है उसकी शादी मुलजिम कैलाश के साथ हुई व दिनांक 29.06.2007 को मुकलावा करवाने के बाद परिवादीया पत्नि की हैसियत से रही व दाम्पत्य संबंधों के निर्वाह के फलस्वरूप पुत्री माया उम्र 6 वर्ष व पुत्र करण उम्र 3 वर्ष का हुआ है। मुलजिमान ने एक राय होकर दिनांक 12.05.2015 को प्रार्थीनी के साथ भारी मारपीट कर कमरे में बंद कर दी परिवादीनी को दो दिन से खाना भी नहीं दिया, परिवादीनी जब से मुलजिमान के साथ रहने लगी तब से उसके साथ बुरा बर्ताव करने लगे उसे तमाम मुलजिमान दहेज कम लाने के आधार पर ताने मारते हैं व बार बार उसे राण्ड शब्द से अपमानित करते व तमाम मुलजिमान की सीखावट से मुलजिम कैलाश परिवादीया के साथ मारपीट करता व उसे गाली गलौज कर अपमानित करता था लेकिन दिनांक 12.05.2015 को मुलजिम कैलाश ने अन्य मुलजिमों की सीखावट से उसे कमरे में बंद कर उसके साथ दीवार पर सिर पटक पटक कर व लाठी से उसके साथ

मारपीट की परिवादीया के चिल्लाने पर मुंह में कपडा दबाकर मारपीट की जिसके उसके सिर व हाथों पर चोटे आई व उसके पेट पर भी कई लाते व घूसे मारे जिससे उसके पेट के अन्दरूनी भाग पर गंभीर चोटे आई जिससे उसके पेट व गर्भाशय पर तीव्रगति से लात मारने से ब्लीडिंग तेज शुरू हो गई परिवादीया के पांच दिन का गर्भ था जो गिर गया व प्राइवेट पार्ट व गंभीर चोटे मुलजिम कैलाश कारित की जिससे उसकी मरने जैसी स्थिति हो गई तब उसे मुलजिम ने मरी समझ कर छोडा जो दो दिन से कमरे में भुखी पडी रही किसी ने उसकी सुध नहीं ली फिर फोन से परिवादीया के भाई को सूचना देने पर उसके भाई घाणेराव गये व उसे सथ लेकर देसूरी थाने गये व देसूरी हॉस्पीटल ले जाकर उसका ईलाज करवाया व मेडिकल आदि करवाकर से अपने साथ पीहर नाडोल लेकर गये। मुलजिमान परिवादीया के चरित्र पर बिना वजह इल्जाम लगाकर उसका अपमान करता है व चरित्र का संदेह कर मुलजिम उसके साथ मारपीट करता है मुलजिमान परिवादीया से पूरे घर में नौकरानी की तरह काम करवाते हैं व कई तरह से ताने मारकर उसको तंग व परेशान करते हैं व 5,00,000/— अक्षरे पांच लाख रूपये की अवैध मांग करते जिसकी पूर्ति नहीं करने से उसे आये दिन परेशान करते व मारपीट पति से सीखावट कर करवाते। मुलजिमान ने जानबूझकर परिवादीया को मारपीट कर दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर घर से बाहर निकाल दिया। परिवादीया द्वारा पुलिस थाना देसूरी में रिपोर्ट की लेकिन पुलिस ने मुलजिम पक्ष से मिलीभगत कर केवल मात्र धारा 107, 151 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही की जबकि पुलिस ने परिवादीया का मेडिकल भी करवाया लेकिन उसके बावजूद किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं किया। परिवादीया को अपने माता पिता ने अपने सामर्थ्य अनुसार शादी में दहेज दिया। परिवादीया को मारपीट कर घर से बाहर निकालने पर वो अपने पीहर नाडोल रह रही है तो वहां फोन पर धमकियां मुलजिमान दे रहे हैं कि तुमने उनके खिलाफ पुलिस में कार्यवाही कैसे की अब उसे जाने से खत्म कर देंगे व परिवादीया के बच्चों को गुंडों द्वारा मारपीट कर ले जाने की धमकियां दी हैं। परिवादीया अपने बच्चों सहित उसके पीहर नाडोल है जहां से उसके बच्चे उठाने की धमकी फोन से मुलजिम पक्ष ने दी है व परिवादीया को गंभीर चोटै पहुंचाई है ऐसी स्थिति में अब परिवादीया का मुलजिम पक्ष के साथ रहना नामुमकिन है इसलिये परिवादीया के पास उक्त परिवाद प्रस्तुत करने के अलावा कोई चारा नहीं है .... इत्यादि। उक्त परिवाद को बाद अवलोकन न्यायालय द्वारा धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस

थाना रानी को भेजा गया।

02. उक्त रिपोर्ट पर थानाधिकारी, पुलिस थाना रानी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 162/2015 अंतर्गत धारा 498ए, 406, 323, 314 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त कैलाश कुमार के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 406, 323 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप–पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 406, 323 भारतीय दण्ड संहिता में प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया जाने से अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 07.08.2015 को प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर नियमित फौजदारी किया गया।

03. प्रकरण में दिनांक 31.08.2017 को अभियुक्त कैलाश कुमार को अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 406, 323 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

04. साक्ष्य के दौरान ही परिवादिया एवं अभियुक्त ने स्वैच्छापूर्वक लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर दिनांक 02.02.2026 को अपराध अंतर्गत धारा 406, 323 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में राजीनामा पेश करने की अनुमति बाबत् व राजीनामा बाबत् प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजीनामा पृथक से तस्दीक किया जाकर अभियुक्त कैलाश कुमार को जरिये राजीनामा धारा 406, 323 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 498ए भा.दं.सं. का विचारण शेष रहा।

05. साक्ष्य अभियोजन में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पीडब्ल्यू–01 ममता, पीडब्ल्यू–02 बसन्ती व पीडब्ल्यू–03 रमेशलाल को परीक्षित करवाया गया व दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी–01 इस्तगाशा, प्रदर्श पी–02 पुलिस बयान ममता, प्रदर्श पी–03 फर्द पेशकर्ता दहेज सामान, प्रदर्श पी–04 पुलिस बयान बसन्ती व प्रदर्श पी–05 पुलिस बयान रमेशलाल को प्रदर्शित करवाया गया। तत्पश्चात् साक्ष्य अभियोजन समाप्त की गई।

06. अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता पृथक् से किया गया। अभियुक्त ने अभियोजन पक्ष के साक्षी के कथनों को गलत होना बताकर स्वयं को निर्दोष होना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करनी चाही।

07. बहस अन्तिम उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि :–

"क्या अभियुक्त ने परिवाद प्रस्तुत करने से पूर्व किसी समय परिवादिया के पति होते हुए परिवादिया से दहेज की मांग कर व मारपीट कर उसके साथ शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित की?"

यदि हाँ, तो अभियुक्त किस दण्ड का पात्र है?

08. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहों द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में पत्रावली पर आई साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में अभियोजन पक्ष असफल रहा है इसलिये अभियुक्त को आरोपित अपराध से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की।

09. सहायक अभियोजन अधिकारी ने अधिवक्ता अभियुक्त के तर्को का विरोध करते हुये निवेदन किया है कि पत्रावली पर आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्व किया जावें।

10. इस संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य का अवलोकन करे तों अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह **पी.डब्ल्यू 01 ममता** ने अपने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दी है कि उसकी शादी कैलाश के साथ हुई थी। शादी के बाद उसके एक पुत्री माया व पुत्र करण का जन्म हुआ था। शादी के कुछ साल तक तो उसके ससुराल मे सब ठीक चला, लेकिन इसके बाद किसी बात को लेकर उसके व उसके पति कैलाश के साथ मनमुटाव होने से वह अपने पिहर नाडोल आ गयी थी। तब से वह उसके पिहर नाडोल में ही रह रही है। उस दौरान उसने लोगो की सिखावट में आकर लोगो के कहने से उसने अपने पति व ससुराल वालो के खिलाफ तंग परेशान करने का मुकदमा न्यायालय से करवाया था। उसके पति व ससुराल वालो द्वारा उसके साथ कोई दहेज की मांग नही की व न ही मारपीट हुई थी। उसके दोनो बच्चे उसके साथ मे ही रह रहे है। सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि इस्तगासा प्रदर्श पी 01 पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके बयान लिये थे। प्रदर्श पी 02 का ए से बी भाग

सही व सी से डी भाग गलत है। पुलिस ने बयानो मे क्या लिखा व क्यो लिखा उसे नहीं पता। फर्द पेशकर्ता दहेज सामान द्वारा मुलजिम प्रदर्श पी 03 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसका सामान उसे पूरा वापस मिल गया है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि यह कहना सही है कि उसके पति कैलाश व ससुराल वालो के द्वारा उससे दहेज मे 5 लाख रूपयो कि कोई मांग नही की व न ही इस बाबत् उसके साथ मारपीट कर उसे तंग परेशान किया। इस्तागासा प्रदर्श पी 01 का सी से डी मे क्या लिखा उसे पता नही है। पुलिस बयान प्रदर्श पी 02 का सी से डी उसने पुलिस में नहीं लिखाया।

11. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह **पी.डब्ल्यू 02 बसन्ती** ने अपने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दी है कि उसकी पुत्री ममता की शादी कैलाश के साथ हुई थी। शादी के कुछ साल तक तो उसकी बेटी के ससुराल मे सब ठीक चला, लेकिन इसके बाद किसी बात को लेकर उसकी पुत्री व उसके पति कैलाश के साथ मनमुटाव होने से ममता पिहर नाडोल आ गयी थी। उस दौरान उसने लोगो की सिखावट मे आकर लोगो के कहने से अपने पति व ससुराल वालो के खिलाफ तंग–परेशान करने का मुकदमा न्यायालय से करवाया था। उसने उसकी पुत्री के साथ उसके पति या ससुराल वालो के द्वारा कोई मारपीट या दहेज की मांग के बारे मे नही सुना। सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को प्रक्षद्रोही घोषित किया गया। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि पुलिस बयान प्रदर्श पी 04 का ए से बी भाग उसने पुलिस मे नही लिखाया। यह कहना गलत है कि मुलजिम ने उसकी पुत्री को तंग–परेशान किया हो या रूपयो कि मांग की हो। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि कैलाश के द्वारा उसकी पुत्री ममता से दहेज मे 5 लाख रूपयो कि कोई मांग नही की व न ही इस बाबत् उसके साथ मारपीट कर उसे तंग परेशान किया हो।

12. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह **पीडब्ल्यू–03 रमेशलाल** ने अपने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दी है कि उसकी बहन ममता की शादी कैलाश के साथ हुई थी। शादी के कुछ साल तक तो उसकी बहन के ससुराल मे सब ठीक चला, लेकिन इसके बाद किसी बात को लेकर उसकी बहन व उसके पति कैलाश के साथ मनमुटाव होने से ममता पिहर नाडोल आ गयी थी। उस दौरान उसने लोगो की सिखावट मे आकर लोगो के कहने से अपने पति व ससुराल वालो के खिलाफ तंग–परेशान करने का मुकदमा

न्यायालय से करवाया था। उसने उसकी बहन के साथ उसके पति या ससुराल वालो के द्वारा कोई मारपीट या दहेज की मांग के बारे मे नही सुना। सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि पुलिस बयान प्रदर्श पी 05 का ए से बी भाग उसने पुलिस मे नही लिखाया। यह कहना गलत है कि मुलजिम ने उसकी बहन को तंग–परेशान किया हो या रूपयो कि मांग की हो। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि कैलाश के द्वारा उसकी बहन ममता से दहेज मे 5 लाख रूपयो कि कोई मांग नही की व न ही इस बाबत् उसके साथ मारपीट कर उसे तंग परेशान किया है।

13. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में समग्र रूप से बहस अंतिम सुनने के पश्चात् अभियुक्त कैलाश कुमार पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 498ए भारतीय दंड संहिता के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से स्वयं परिवादिया को पी.डब्ल्यू 01 के रूप में परीक्षित करवाया गया है। परिवादिया ममता पी. डब्ल्यू 01 की साक्ष्य का अवलोकन करें तो गवाह अपने मुख्य परीक्षण में कथन करती है कि उसके पति कैलाश के साथ मनमुटाव होने से वो अपने पीहर आ गई थी, उसने लोगों के सिखावट में आकर लोगों के कहने से अपने पति व ससुराल वालों के खिलाफ तंग परेशान करने का मुकदमा न्यायालय में करवाया था। आगे गवाह यह भी कथन करती है कि उसके पति व ससुराल वालों ने उससे कोई दहेज की मांग नहीं की व न ही उसके साथ मारपीट हुई थी। उक्त गवाह को अभियोजन पक्ष के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है। एपीओ द्वारा की गई जिरह में गवाह अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी 02 का सी से डी भाग जिसमें उसने अभियुक्त द्वारा उसके साथ मारपीट करने व दहेज की मांग करने बाबत कथन किए हैं, गलत होना बताती है। गवाह यह भी कथन करती है कि पुलिस ने बयानों में क्या लिखा व क्यों लिखा उसे नहीं पता है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह स्पष्ट रूप से कथन करती है कि उसके पति और ससुराल वालों के द्वारा उससे दहेज में पांच लाख रूपयों की मांग नहीं की गई न ही उसके साथ मारपीट कर उसे तंग परेशान किया गया। इस प्रकार प्रकरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गवाह स्वयं परिवादिया द्वारा अपनी साक्ष्य में अभियोजन कहानी

की लेशमात्र भी ताईद नहीं की गई है। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित परिवादिया की माता बसन्ती पी.डब्ल्यू 02 व परिवादिया के भाई रमेशलाल पी.डब्ल्यू 03 की साक्ष्य का अवलोकन करें तो उक्त दोनों गवाह अपने मुख्य परीक्षण में समान रूप से कथन करते हैं कि किसी बात को लेकर मनमुटाव होने से परिवादिया ममता अपने पीहर नाडोल आई गई थी। उसने लोगों के सिखावट में आकर अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ तंग परेशान करने का मुकदमा न्यायालय में करवाया था। उक्त गवाहान यह भी कथन करते हैं कि उनकी पुत्री/बहन के साथ उसके पति या ससुराल वालों के द्वारा कोई दहेज या मारपीट के बारे में उन्होंने नहीं सुना। उक्त दोनों ही गवाहों को सहायक अभियोजन कहानी के निवेदन पर पक्षद्राही घोषित किया गया है। एपीओ द्वारा की गई जिरह में भी उक्त गवाह समान रूप से कथन करते हैं कि यह कहना गलत है कि मुलजिम ने उनकी पुत्री/बहन को तंग परेशान किया या रूपयों की मांग की हो। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में भी गवाह स्पष्ट रूप से कथन करते हैं कि कैलाश के द्वारा ममता से दहेज में पांच लाख रूपयों की कोई मांग नहीं की गई न ही इस बाबत उसके साथ मारपीट कर उसे तंग परेशान किया गया। ऐसे में प्रकरण के उपरोक्त महत्वपूर्ण गवाहों परिवादिया की माता तथा भाई द्वारा भी परिवादिया की ओर से प्रस्तुत परिवाद प्रदर्श पी 01 की ताईद अपनी साक्ष्य में नहीं की गई है। उक्त समस्त गवाहों की साक्ष्य से यह कतई सिद्ध नहीं होता है कि अभियुक्त कैलाश द्वारा परिवादिया ममता के साथ दहेज की मांग व मारपीट की गई है।

14. लिहाजा उक्त गवाहान की साक्ष्य से अभियोजन कहानी की सम्पुष्टि नहीं होने से अभियोजन पक्ष को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। हस्तगत मामले में पत्रावली पर ऐसी कोई सारभूत साक्ष्य मौजूद नहीं है जिसके आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सके। आपराधिक विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन पक्ष को अपना प्रकरण संदेह से परे साबित करना होता है और इसमें यदि लेशमात्र भी संदेह होता है तो इसका फायदा अभियुक्त को जाता है। ऐसी स्थिति में अभियोजन अभियुक्त पर आरोपित अपराध कि **""क्या अभियुक्त ने परिवाद प्रस्तुत करने से पूर्व किसी समय परिवादिया के पति होते हुए परिवादिया से दहेज की मांग कर व मारपीट कर उसके साथ शारीरिक एवं मानसिक कूरता कारित की?"** पत्रावली पर प्रस्तुत की गई साक्ष्य से, संदेह से परे सिद्ध कर पाने में असफल रहा है। परिणामस्वरूप अभियुक्त कैलाश कुमार

अपराध अंतर्गत धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संदेह के लाभ के आधार पर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

—:आदेश:—

15. अतः अभियुक्त **कैलाश कुमार पुत्र मिश्रीलाल, निवासी घाणेराव, पुलिस थाना देसुरी, जिला पाली, राज.** को अपराध अन्तर्गत धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के पूर्व में पेश जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

16. अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 406, 323 भा.द.स. के आरोप से जरिये राजीनामा दिनांक 02.02.2026 को दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है।

17. अभियुक्त धारा 437—ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 06 माह की अवधि के लिए 10,000/—रुपये अक्षरे दस हजार रूपये की जमानत एवं इसी राशि का मुचलके इस आशय का न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक करावे कि जब कभी उसे माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किया जावेगा, तो वह उक्त न्यायालय में उपस्थित हो जाएगा।

(रोज़ी कंसारा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
रानी, पाली

18. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक **25.02.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोज़ी कंसारा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
रानी, पाली

NOTE:-

1. This copy is being loaded only for reading for advocates.
2. The certified copy be taken as per rules for all legal purposes. Any discrepancy /mistake be immediately brought to knowledge of court so that it may be rectified as per the Disclaimer clause of the website.